कार्यालय ग्राम पंचायत अटाटिया पंचायत समिति झाडोल जिला उदयपुर (राज0)

क्रमांकः–ग्राप 34/वि/पस / लेखा / निविदा / 2026–27 /2 दिनांक :– 7/5/26

(ई–प्रोक वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत)

खुली ई–निविदा सूचना वर्ष 2026–27

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **ग्राम पंचायत अटाटिया पंचायत समिति झाडोल जिला उदयपुर** में श्रीमान् जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, मेनेजिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट(DMFT), उदयपुर से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति क्रमांक मुकाअ / उदय / डीएमएफटी / वि.स्वी. / 2025–26 / 1276 दिनांक 18.03.2026 के क्रम में निष्पादित कराए जाने वाले **निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013, राजस्थान लोक निर्माण, वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमो के तहत जी0एस0टी0 में पंजीकृत/प्राधिकृत** संवेदको से जो कि संबंधित कार्य का अनुभव रखते हो, से ई–प्रॉक्युरमेन्ट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट https://www.sppp.rajasthan.gov.in एवं https://www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	अमानत राशि (Bid Security) (रुपयों में) (02 प्रतिशत)	प्रोसेसिंग शुल्क MD RISL Jaipur के नाम से (रुपयों में)	निविदा शुल्क (रुपयों में)	निविदा आवेदन विक्रय / डाउनलोड करने की दिनांक	निविदा अपलोड करने की अंतिम दिनांक	निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि कार्यालय ग्राम पंचायत .... में जमा कराने की दिनांक	ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक
1.	सीसी मय नाला निर्माण कार्य मैन रोड से अभयसिंह झालमसिंह के घर की ओर रिया सांखला	1472000	29440	500	500	8/5/26	18/5/26	19/5/26	19/5/26

1. निविदा प्रपत्रो को वेबसाइट https://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट https://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड / जमा कराऐं।
2. निविदा ऑनलाईन अपलोड / जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदायें नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
3. निविदा उपापन समिति के समक्ष ही खोली जावेगी तथा निष्पादन कार्यवार होगा।
4. निविदा में भाग लेने वाली फर्मो का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन एवं राजस्थान सरकार के किसी भी राजकीय निर्माण विभाग में सिविल कार्य में 'डी' श्रेणी सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. इस कार्यालय में फर्म / संवेदक द्वारा निर्धारित दिनांक में 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट https://www.sppp.rajasthan.gov.in एवं https://eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदादाता के लिए योग्यता सूचना व दरों का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है।

(मोहन लाल पटेल)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....
पं.स.–झाडोल, जिला–उदयपुर (राज.)

6. प्रत्येक कार्य के लिए निविदा शुल्क व अमानत राशि **ग्राम पंचायत अटाटिया पंचायत समिति झाडोल** के नाम से देय व प्रोसेसिंग फीस जो कि **MD RISL Jaipur** के नाम देय होगा। निविदा शुल्क व अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नगद अथवा ऑनलाईन (ग्राम पंचायत के खाते में) के रूप में लिया जावेगा। प्रोसेसिंग फीस डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के रूप में लिया जावेगा। निर्धारित समय तक निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, अमानत राषि (उक्त तीनों की मूल डीडी/बैंकर्स चैक अथवा मूल रसीद), घोषणा पत्र एवं अन्य प्रपत्र कार्यालय में जमा नहीं कराने पर निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। ऑनलाईन जमा करवाई गई राषि का सत्यापन नहीं होने पर प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। असफल निविदादाताओं को अमानत राषि की डीडी/बीसी अथवा नगद राषि वापस लौटा दी जावेगी जबकि प्रोसेसिंग शुल्क एवं निविदा शुल्क की डीडी/बीसी अथवा नगद राषि नॉन रिफंडेबल होगी अर्थात वापस नहीं लौटाई जावेगी। सफल निविदादाता को अपने खर्च पर एग्रीमेंट की कार्यवाही करनी होगी एवं 10 प्रतिषत कार्य संपादन प्रतिभूति अथवा धरोहर राषि नगद, ई–ग्रास(ऑनलाईन), बैंक ड्राफ्ट, राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंक गारंटी, फिक्स डिपोजिट अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (e-BG) के रूप में जमा करवानी होगी जो संवेदक को Defect liability period सफलतापूर्वक समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी।

7. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी राशि जब्त कर ली जावेगी।

8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृति के 02 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवायें लेने से पहले नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा ।

9. विभागीय समसंख्यक आदेशानुसार यदि कोई निविदादाता अनुमानित लागत से 15 प्रतिशत की दर से कम दर प्रस्तुत करता है तो निविदादाता को पूर्ण निविदा राशि से कम दर से प्रस्तुत दर के 50 प्रतिशत के बराबर राषि अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति के रुप में जमा करवानी होगी। यह प्रतिभूति ई–ग्रास, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, राजकीय प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के रुप में अनुबंध संपादन के पूर्व जमा करानी होगी व गुणवत्ता से संतोषप्रद कार्य पूर्ण होने के पश्चात वापिस लौटाई जावेगी। निविदा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (धरोहर राषि) के साथ ही अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

10. क्रय समिति किसी भी शर्त में शिथिलता देने के लिये सक्षम होगी। निविदा की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी में निहित होगी जो निम्नतम निविदा स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं है।

11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र झाडोल होगा।

12. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने/निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

13. राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम, पंचायतीराज नियम 1996, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम 2013, डीएमएफटी नियमावली 2016, डीएमएफटी में निर्दिष्ट मानदण्डों एवं व्यवस्थाओं, ग्रामीण कार्य निर्देषिका–2010, पीडब्ल्युडी बीएसआर(नवीनतम) तथा विभागीय परिपत्रों व समय–समय पर जारी समस्त दिषा–निर्देषों आदि की पूर्ण पालना करते हुए कार्य करवाया जावेगा।

14. डीएमएफटी से जारी संलग्न (तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ) वित्तीय स्वीकृति में दी गई समस्त शर्तो की पालना अनुसार ही कार्य करवाते हुए राषि जारी की जावेगी।

15. **ई–टेण्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश :**

अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साइट https://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।

ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाताओं को इन्टरनेट साइट https://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट हैं, उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपर्युक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

द. ऑनलाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगी।

य. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।

र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकी जमा कराने में किसी कारण से विलंब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

ल. निविदा प्रपत्रों में आवश्यक सभी ऑनलाइन सूचियों को संपूर्ण रुप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत अटाटिया
पंचायत समिति, झाडोल
जिला उदयपुर

(मोहन लाल पटेल)
ग्राम विकास अधिकारी

प्रशासक
ग्राम पंचायत अटाटिया
पंचायत समिति, झाडोल
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by JITENDRA SINGH RAJAWAT
Date: 2026.05.09 16:29:29 IST
Location: Rajasthan-RJ